उ0प्र0 भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

नवीन भवन, राज्य नियोजन संस्थान,
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांक: 4127 /उ0प्र0 रेरा/का0आ0/2021–22 दिनांक : 14 जून, 2021

कार्यालय आदेश

उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के लखनऊ मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालय, गौतमबुद्धनगर में पीठों के समक्ष विचाराधीन शिकायतों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्राधिकरण की 20वीं बैठक दिनांक 04.09.2019 के आलोक में निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 16.09.2019 के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राधिकरण की 58वीं बैठक दिनांक 08.03.2021 में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा सम्यक विचारोपरांत अनुमोदित किया गया।

कार्यालय आदेश पत्रांक– 4213/यू.पी. रेरा/20वीं बैठक/का0आ0/2019–20 दिनांक 16.09.2019 में नियत व्यवस्था	कार्यालय आदेश पत्रांक– 4213/यू.पी. रेरा/20वीं बैठक/का0आ0/2019–20 दिनांक 16.09.2019 में प्रस्तावित संशोधन
उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के कार्यालय आदेश पत्रांक– 4213/यू.पी. रेरा/20वीं बैठक/का0आ0/2019–20 दिनांक 16.09.2019 में निम्नवत व्यवस्था है:– यदि प्रमोटर द्वारा विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, सीवेज निस्तारण, जल निकासी तथा आंतरिक मार्गों से सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करके 1.– इलेक्ट्रिकल सेफटी सर्टिफिकेट, 2. फायर सेफटी सर्टिफिकेट, 3. स्ट्रक्चलर इंजीनियर सर्टिफिकेट तथा 4. लिफ्ट इंस्टॉलेशन/सेफ्टी सर्टिफिकेट सहित सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पूर्णता प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमोटर के आवेदन पत्र को 07 कार्यदिवस में अस्वीकार करते हुए अपेक्षित संशोधनों सहित आवेदक को 08 कार्यदिवस के अन्दर सूचित नहीं किया है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे पूर्णता प्रमाण–पत्र स्वीकृत किया (डीम्ड अप्रूवड) माना जाएगा।	उ0प्र0 अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट ऐक्ट के चैप्टर V, धारा–15–A में प्राविधान है कि "**(15-A Completion Certificate-(1)** Every person or body having been granted permission under sub-section (3) of section 15, shall complete the development according to the approved plan and send a notice in writing of such completion to the Authority, and obtain a completion certificate from the Authority in the manner prescribed or provided in the bye-laws of the Authority. Provided that if completion certificate is not granted and refusal to grant it is not intimated within **three months** after receipt of the notice of completion, it shall be deemed that the completion certificate has been granted by the Authority."

कृपया कार्यालय आदेश पत्रांक– 4213/यू.पी. रेरा/20वीं बैठक/का0आ0/2019–20 दिनांक 16.09.2019 को उपरोक्तानुसार संशोधित समक्षा जाये।

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(1) मा0 अध्यक्ष, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को सूचनार्थ कृपया।
(2) समस्त मा0 सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण को सूचनार्थ कृपया।
(3) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन।
(4) प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(5) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ।
(6) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी/मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस–वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट अथॉरिटी।
(7) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
(8) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, भदोहीं, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सतहरिया जौनपुर।
(9) उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेशं
(10) समस्त प्रमोटर्स को उ0प्र0 रेरा की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से तथा उनकी लॉगिन के माध्यम से अनुपालनार्थ।
(11) समस्त होम बायर्स एसोसिएशन तथा होम बायर्स को उ0प्र0 रेरा की वेबसाइट पर प्रकाशन के माध्यम से सूचनार्थ।
(12) प्रमुख सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(13) वित्त नियंत्रक, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(14) विधि सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(15) कन्सिलिएशन कन्सलटेन्ट, उ.प्र. रेरा मुख्यालय एवं क्षे.का. ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
(16) तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(17) श्री डी0के0 सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट, क्षे.का. उ.प्र. रेरा।
(18) संयुक्त सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
(19) उप सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, ग्रेटर नोएडा।
(20) सहायक निदेशक (सिस्टम्स), उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।

(राजेश कुमार त्यागी)
सचिव